

2025/488

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025 / 3666

दिनांक 06/10/2025

उपरोक्त प्रकरण:- शागीरथमल वनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या:- 176 /2025

—: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 28 /भूअ./2025 दिनांक 29/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राहक रतनपुरा पटवार हल्का नाथुसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खाता संख्या 10/11,266 में खातेदार शागीरथ प्रसाद पुत्र रामदेव जाति जाट के स्थान पर शागीरथमल पुत्र रामदेव जाति जाट का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का नाथुसर उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025 / 3667-68

दिनांक 06/10/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का नाथुसर तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)